केवल सदस्यों के लिए

जयपुर विकास प्राधिकरण ,जयपुर

क्रमांक: प-1 (77-70) ईसी/ बैठक/ 98/ 2648 दिनांक 20-8-98

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 70 वी बैठक दिनांक 18.8.98 का कार्यवाही विवरण ।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक प-1(77-70) ईसी/बैठक/98/2620 दिनांक 13.8.98 के अन्तर्गत जारी सूचना पत्र के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 70 वी बैठक दिनांक 18.8.98 को मध्यान्ह 4 बजें समिति कक्ष मे आयोजित की गई । बैठक मे उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ठ क पर सलंग्न है ।

बैठक मे विचार विमर्श के पश्चात एजेण्डा बिन्दुओ पर निम्नाकिंत विवरणानुसार निर्णय लिये गये ।

प्रस्ताव 70.1 कार्यकारी समिति की 69 वी बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि

पारित प्रस्ताव 70.1 कार्यकारी समिति की 69 वीं बैठक दिनांक 3.8.98 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया जाकर पुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव 70.2 कार्यकारी समिति की 69 वी बैठक मे निर्णयो के कियान्विति के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव 70.2 कार्यकारी समिति की 69 वीं बैठक के निर्णयों की कियान्विति रिपोर्ट का परिशिष्ठ-2 पर अवलोकन किया जाकर निर्देशित किया गया कि आइटम नम्बर 66.9(3),69.5(3),69.5(6) का अनुपालना प्रतिवेदन आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जावें ।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रस्ताव 70.3 देवी सहाय कानव को वरिष्ठता अनुसार नियुक्ति एंव पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 70.3 प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्ताव सुस्पष्ट नहीं है। अत: प्रकरण का पुन: परीक्षण कर वस्तु स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जावे।

प्रस्ताव 70.4 विध्याधर नगर योजना में सेन्ट्ल स्पाईन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 70.4 प्रस्तावानुसार पुष्टि की गई ।

प्रस्ताव 70.5 नई एम्बेसेडर कार क्रय करने हेतु ।

पारित प्रस्ताव 70.5 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्ताव 70.6 मृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितो को शैक्षणिक योग्यता मे छूट प्रदान करने बाबत ।

पारित प्रस्ताव 70.6 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एंव इस हेतु सेवा विनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक मे प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रस्ताव 70.7 क्षेत्रीय समिति (जोनल कमेटी) के गठन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 70.7 प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर निर्देश प्रदान किये गये कि उक्त प्रस्ताव को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें । प्रस्ताव मे इस बात का उल्लेख भी कर दिया जावें कि अगर किसी कारणवश 19 तारीख को बैठक नही हो पाती है तो आगामी कार्य दिवस को बैठक आयोजित की जावेंगी ।

प्रस्ताव 70.8 क्षेत्रीय विकास समिति (जोनल डवलपमेन्ट कमेटी) के गठन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 70.8 प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर निर्देश प्रदान किये गये कि उक्त प्रस्ताव को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें । प्रस्ताव मे इस बात का उल्लेख भी कर दिया जावें कि अगर किसी कारणवश 26 तारीख को बैठक नही हो पाती है, तो आगामी कार्य दिवस को बैठक आयोजित की जावेंगी।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रस्ताव 70.9 — प्राधिकरण कर्मचारियों को निजी चिकित्सालयों की सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 70.9 — प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री अमर जैन मेडिकल रिलिफ सोसाईटी, एम.एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार ,जयपुर एवं सन्तोकबा दुर्लभजी पांली क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सैन्टर, एस.एम.एस.अस्पताल के सामनें, जयपुर के चिकित्सा खर्च के पुर्नभरण का निर्णय भी लिया गया क्योकि उक्त दोनो संस्थान मुख्य संस्थानो की शाखा/पॉली क्लिनिक के रूप में ही कार्यरत है।

प्रस्ताव 70.10 — प्राधिकरण के विनियमों मे कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हकारी सेवा मे संशोधन करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव 70.10 — प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाकर प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया कि कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा कनिष्ठ सहायक व सहायक के रूप मे कुल 10 वर्ष होनी चाहिये। इस हेतु सेवा विनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय भी लिया गया ।

प्रस्ताव 70.11 — वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण के कम में ।

पारित प्रस्ताव 70.11 — प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाकर निम्न बिन्दुओ पर पुनः परीक्षण के निर्देश दिये गये :

1. 40 प्रकोष्ठो मे प्रति प्रकोष्ठ 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता बताई गई है । इस बात का परीक्षण कर लिया जावें कि क्या वास्तव में प्रति प्रकोष्ठ 2 कर्मचारियों की आवश्यकता है एंव तदनुसार ही प्रस्तुत किया जावें ।
2. इस बात का भी परीक्षण कर लिया जावें कि कार्यालय मे कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता है व इससे अधिक यदि उपलब्ध है तो उनका समुचित उपयोग क्या हो सकता है प्रस्ताव के साथ वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / बेलदार के पदस्थापन की प्रकोष्ठवार सूचना भी प्रस्तुत की जावे। प्रस्ताव पर निर्णय स्थगित रखा गया ।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रस्ताव 70.12	सेवा विनियम मे लिफ्ट आपरेटर एवं सीनियर लिफ्ट आपरेटर का संवर्ग सम्भिलित किये जाने बाबत
पारित प्रस्ताव 70.12	प्रस्तावानुसार अनुमोदित किया गया एवं तदनुसार सेवा विनियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया।
प्रस्ताव 70.13	प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की समीक्षा ।
पारित प्रस्ताव 70.13	प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि निदेशक(वित्त) इसकी समीक्षा करेंगे व आय व्यय का समुचित एवं यर्थाथपरक आकलन कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे ।
प्रस्ताव 70.14	उच्च मार्ग नियंत्रण बैल्ट के सम्बन्ध में ।
पारित प्रस्ताव 70.14	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया । निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव में निम्न बातो को समाहित करते हुए इसे प्राधिकरण की आगामी बैठक मे प्रस्तुत किया जावें : 1. प्रस्ताव में उद्योग को सुपरिभाषित किया जावे एवं लघुतर उद्योगो (टाइनी सेक्टर) को उद्योग की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जावे। 2. यह भी निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण की बैठक मे प्रस्ताव के साथ इन सभी संशोधनो को दर्शाते हुए मानचित्र भी प्रस्तुत किया जावें ।
प्रस्ताव 70.15	अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से प्राधिकरण में समझौता समितियों (सेटिलमेंट कमिटीज) के गठन पर विचार विमर्श किया गया ताकि प्राधिकरण व अन्य पक्षो के मध्य चल रहे न्यायिक व अन्य विवादों का सद्भावपूर्ण ढंग से निपटारा किया जा सके एवं इस प्रकार लम्बी एवं खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया से बचा जा सके इस सम्बन्ध में निदेशक (विधि) इन समितियों के गठन का प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसके बाद विचार विमर्श आयुक्त महोदय प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

2/12/2003

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

802

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 70 वीं बैठक दिनांक 18. 8. 98 को 4 बजे समिति कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य/अधिकारियों ने भाग लिया :

क्र. सं.	नाम सदस्य/अधिकारी मय पद/विभाग	हस्ताक्षर
1.	राजेन्द्र सिंह, सचिव, जविप्रा	[signature]
2.	B.A. Pardhanaya Director T.P.	[signature]
3.	V.L. Sharma निदेशक वित्त	[signature]
4.	R.L. Purohit Director Engg.	[signature]
5.	C. S. Beniwal Addl. Commissioner (L+P)	[signature] 18/8/98
6.		

[signature]

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर